



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 33] नई दिल्ली, अगस्त 11—अगस्त 17, 2019, शनिवार/श्रावण 20—श्रावण 26, 1941
No. 33] NEW DELHI, AUGUST 11—AUGUST 17, 2019, SATURDAY/SRAVANA 20—SRAVANA—26, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2019

का.आ. 1445.—सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्याग-पत्र स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप, श्री राकेश जैन ने दिनांक 11.3.2019 से भारतीय रिजर्व बैंक के दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में अपना कार्यभार त्याग दिया है।

[फा.सं. 6/1/2018-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

New Delhi, the 12th July, 2019

S.O. 1445.—Consequent upon acceptance of resignation by the competent authority, Shri Rakesh Jain has relinquished his office as a Member from the Southern Area Local Board of the Reserve Bank of India, with effect from 11.3.2019.

[F. No. 6/1/2018-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2019

का.आ. 1446.— राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री विवेक अग्रवाल (क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक) को डॉ. रवि एन. मिश्रा के स्थान पर तत्काल प्रभाव से अथवा अगले आदेशों तक, पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक मण्डल में निदेशक नामित करती है।

[फा.सं. 6/3/2011-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 24th July, 2019

S.O. 1446.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Vivek Aggarwal (Regional Director, Reserve Bank of India) as Director on the Board of Directors of Punjab National Bank with immediate effect and until further orders, *vice* Dr. Rabi N. Mishra.

[F. No. 6/3/2011-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.